संख्या-20/2018/डी-211/38-2-2018-2(13)डी/2017

प्रेषक,

सुधेश कुमार ओझा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 05 मार्च, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट धनराशि में अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-130/स्था0-5/अभि0/018, दिनांक 20-02-2018 जिसके माध्यम से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कर्मियों के कई माह से लम्बित वेतन के भुगतान की कार्यवाही के दृष्टिगत जनपदों में वेतन आदि मदों के लिए भारत सरकार से डी0आर0डी0ए0 (प्रशासन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश की अवशेष धनराशि अवमुक्त होने की प्रत्याशा में रू0 5549.00 लाख राज्यांश के रूप में अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया हैए का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत केन्द्रांश की अवशेष धनराशि रू0 5549.00 लाख (रूपये पचपन करोड़ उन्चास लाख मात्र) के सापेक्ष राज्यांश के रूप में स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने पर उक्त धनराशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगाए वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समर्पित कर दी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के0 60 /रा0 40 के0+रा0)-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 नवम्बर 2017 में निहित व्यवस्था एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनभाग-2 के अशासकीय संख्या़-यू0 ओ0 नं0-ई-2-233/दस-18 दिनांक 05-03-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधेश कुमार ओझा)
सचिव।

संख्या-20/2018/डी-211/38-2-2018 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
5- ग्राम्य विकास अनु0-3
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7 - गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।